क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1101..../NGT-162/OA-880/2022/2024 दिनांक 09/8/2024.

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: **Compliance report on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to direction issued on 25.07.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No-880/2022 (IA No-675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors.-reg.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 25.07.2024 Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors. in OA No-880/2022 (IA No-675/2023), response is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: As above.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA No 880/2022 (IA No-675/2023)

Sohan Vir Singh **APPLICANT**

Versus

Virender Kashyap & Ors. **RESPONDENTS**

Compliance Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuant to its order dated 25.07.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 880/2022 (IA no. 675/2023) in the matter of Sohan vir Singh vs Virender Kashyap & ors.

Most respectfully It is showeth as under:

1) That, this Hon'ble Tribunal vide its order dated 25.07.2024, in said matter, has passed the following directions:

   "..............Office record also shows that notice has been served upon respondent 4. Today, neither any authorised representative of respondent 4 is present nor Learned Counsel representing UPPCB before us is present. In the circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB to remain present on the next date and also to show cause as to what action has been taken and if no action has been taken and who is the person responsible for such failure…………..."

2) That, in compliance to its direction issued on 01.05.2024 by this Hon'ble Tribunal in OA No. 880/2022 (IA no. 675/2023) in the matter of Sohan vir Singh vs Virender kashyap & ors, response on behalf of the UPPCB has been filed vide email dated 12.07.2024 before this Hon'ble Tribunal. Copy of response dated 12.07.2024 is attached herewith as **Annexure-I** to this report.

3) That, in pursuant to the direction issued on 01.05.2024 by the Hon'ble Tribunal, inspection of the shop of cattle fodder (straw) in question was carried out by the Officials from Regional Office, UPPCB, Ghaziabad on 02.07.2024 and it was found that shop of cattle fodder (straw) is established in ward no. 10, Rajeev Garden, Mangal Bazar, 60 foota road, Loni, District Ghaziabad under the jurisdiction of Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad.

4) That, in compliance to the order passed on 13.08.2003 by this Hon'ble High Court Allahabad in the matter of Writ-C No-34957/2003 (Smt. Mitlesh Jain Vs State of U.P. & Ors.) and in pursuant to the above direction issued by the Chief Secretory, Government of U.P. vide letter no. सी0एस0/89/9–अ–3–2003–82 रिट/2003 दिनांक 05.09.2003 एवं सी0एस0–89(1)/9–आ0–3–2003–82रिट/2003 Housing and urban planning section-3 dated 10.11.2003 for prohibition of commercial and industrial activities conducting in marked out in residential land use in master plan, letter were sent to the Executive Officer, Nagar Palika Parishad Loni, Ghaziabad by UPPCB on 05.07.2024 & 03.08.2024 to take necessary action regarding the matter. The copy of said letter is attached herewith as **Annexure-II** to this report.

5) That, in reply to the above, a letter was received from the Executive Officer, Nagar Palika Parishad Loni, Ghaziabad in this office on 06.08.2024 (copy of said letter is attached herewith as **Annexure-III** to this report). According to the said letter it was stated by the Executive Officer, Nagar Palika Parishad Loni, Ghaziabad that the shop of cattle fodder (Straw) in question has been closed.

Above compliance report is submitted hereby for perusal and kind consideration of the Hon'ble National Green Tribunal.

(Vikas Mishra)
Regional Officer
UPPCB, Ghaziabad.

Annexure – 1

Gmail

RO Ghaziabad <roghaziabad@uppcb.in>

Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to direction issued on 01.05.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No-880/2022 (IA No-675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors.-reg.

1 message

RO Ghaziabad <roghaziabad@uppcb.in> Fri, Jul 12, 2024 at 4:09 PM
To: "Consultant Judicial-NGT(P.B.)" <judicial-ngt@gov.in>, ngt.filing@gmail.com
Cc: CEO 1 <ceo1@uppcb.in>, CLO UPPCB <clo@uppcb.in>, Pradeep Misra <pradeepmisra@yahoo.com>, MS UPPCB <ms@uppcb.in>

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 01.05.2024 Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors. in OA No-880/2022 (IA No-675/2023), response is hereby submitted for kind perusal and necessary action please as authorized undersignatory to file response by UPPCB, Lucknow vide letter dated 12-07-2024, (copy of letter is attached).

Enclosure: As above.

--

UPPCB
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

VIKAS MISHRA,
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
INS-2, Sector-16, Vasundhara,
Ghaziabad-201012– U.P.
Phone: 91-0120-4160108
E-mail:roghaziabad@uppcb.in;
Website:www.uppcb.com

Sohan Veer NGT Report.pdf
722K

Search

Old Website

National Green Tribunal

Recent Reports

Title

sohan veer

Search Reset

S No	Title	Uploaded on	Date of Report
1	Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in OA No. 880 of 2022 (Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors.)	15-Jul-2024	12-Jul-2024

User Manual Help Centre Telephone Directory Site Map Related Links

क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 202/NGT-162/OA-880/2022/2024 दिनांक 12/07/2024.

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to direction issued on 01.05.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No-880/2022 (IA No-675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors.-reg.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 01.05.2024 Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors. in OA No-880/2022 (IA No-675/2023), response is hereby submitted for kind perusal and necessary action please as authorized undersignatory to file response by UPPCB, Lucknow vide letter dated 12-07-2024, (copy of letter is attached).

Enclosure: As above.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:
1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H/4006/सी–1/NGT-253/2024 दिनांक: 12/07/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाज़ियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या– 880/2022 (I.A. No.- 675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–680/एन.जी.टी.–162/ओ.ए.–880/2024, दिनांक–05.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या– 880/2022 (I.A. No.- 675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors में पारित आदेश दिनांक–01.05.2024 के अनुपालन में मा0 एन.जी.टी. में Response दाखिल किये जाने हेतु Response का ड्राफ्ट तैयार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किये जाने वाले Response का ड्राफ्ट विधि अनुभाग से विधिक्षित कराया गया एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा आपको मा0 एन.जी.टी. में Response दाखिल किये जाने हेतु आपको अधिकृत किया गया है। अतः विधि अनुभाग से विधिक्षित संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 एन.जी.टी. में ससमय Response दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः
मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 680/NGT-162/OA-880/2024 दिनांक 05/07/2024

सेवा मे,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त—1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 880/2022 (IA No-675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 880/2022 (IA No-675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors. मे दिनांक 01.05.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये है:—

"1. In view of the facts and circumstances of the case we consider the present of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly, UPPCB through its Member Secretary is impleaded as respondent no.4. The Registry is directed to amend memo of parties and issue notice to respondent no. 4 requiring it to file its response by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

3. List this matter for final hearing on 25.07.2024."

अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण मे इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.07.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या/स्टेटस रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

(AEE)

Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to direction issued on 01.05.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No-880/2022 (IA No-675/2023) Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors.

1- Background :-

Hon'ble National Green Tribunal, vide order dated 01.05.2024 in the matter of Sohan Veer Singh Vs Virender & Ors. in OA No-880/2022 (IA No-675/2023) had directed following:-

"1. In view of the facts and circumstances of the case we consider the present of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)to be essential for just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly, UPPCB through its Member Secretary is impleaded as respondent no.4. The Registry is directed to amend memo of parties and issue notice to respondent no. 4 requiring it to file its response by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

3. List this matter for final hearing on 25.07.2024."

....

2- Compliance of the direction of Hon'ble NGT:-

In Compliance of aforesaid directions UPPCB visited the shop of cattle fodder (Straw) in question on 02.07.2024. During visit Shri Virendra Singh owner of shop and Shri Sohan Veer Singh, Complainant were present.

3- Observation:-

Observation made during visit the facts/findings are as follows:-

I. During visit it was observed that the shop of cattle fodder (Straw) in question is established in ward no. 10, Rajeev Garden, Mangal Bazar, 60 Foota Road, Loni, District, Ghaziabad under the jurisdiction of Nagar Pallika Parishad, Loni, Ghaziabad. The shop of cattle fodder is being run by Shri Virender Singh S/o Shri Nahar Singh from his residential premises in a hall of 35ftx19ft approximately and reported the running

3-

the shop to be working before 2010. During visit a weighing machine was observed. The photographs taken during visit is given below: -

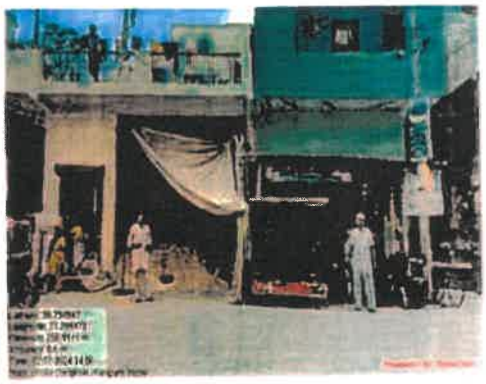

II. During visit it was observed that the residential house/shop of complainant Shri Dharamveer is situated adjacent to shop of cattle fodder (Straw).

III. During visit it was reported by owner of cattle fodder shop that he always get unloaded the cattle fodder (Straw) from carriers in the mid night while no persons passes nearby. During visit unloading of straw was found not being carried out.

IV. During visit it was observed that the shop of cattle fodder is being run in the area of Nagar Pallika Parishad, Loni, Ghaziabad and it may cause problem due to circulation of the dust of cattle fodder and spreading the cattle fodder in nearby area.

V. During visit shop of cattle fodder was found covered but entrance was partially covered with the help of curtains cloths.

VI. During visit it was informed that having regard to complaint, earlier the shop of cattle fodder was closed by Nagar Pallika Parishad, Loni with the help of local police on 30.08.2022 but reopened the shop.

4- Conclusion:-

- It is also pertinent to mention here that Hon'ble High Court Allahabad had passed order on 13.08.2003 in the matter of Writ-C No-34957/2003 (Smt. Mitlesh Jain Vs State of U.P. & Ors.) regarding prohibition of industrial activities conducting in residential area and in pursuant to aforesaid order Chief Secretory, Govt. of UP has issued directions vide

सी0एस0/89/9–अ–3–2003–82 रिट/2003 दिनांक 05.09.2003 एव सी0एस0–89(1)/9–आ0–3–2003–82रिट/2003 Housing and urban planning section-3 dated 10.11.2003 for prohibition of commercial and industrial activities conducting in marked out in residential land use in master plan.

- In pursuant to above UPPCB, Lucknow vide letter H-35723/C-4/OA No-64/2016 dated 10.05.2019 has issued direction to send the recommendation to Vice President, Development Authority or incharge Nagar Nigam/Executing Officer, Nagar Pallika Parishad/Nagar Panchyat for shifting of such activities. Copy of letter is attached as **Annexure-I.**
- In view of above UPPCB sent a letter to Executive Officer, Nagar Pallika Parishad, Loni, Ghaziabad on 05-07-2024 to take necessary action on the above matter. Copy of letter is attached as **Annexure-II.**

Above report is submitted here by for kind perusal and necessary action.

(Vipul Kumar)
A.E.E.
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

(Kunwar Santosh Kumar)
A.E.E.
U.P. Pollution Control Board,
Ghaziabad.

5

Annexure-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H35723/सी-4/OANo-64/2016 दिनांक- 10-05-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 64/2016 एवं एम0ए0 सं0 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम् उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है ....

"Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं0 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या– सी0एस0/89/9–अ–3–2003–82 रिट/2003 दिनांकित– 05.09.2003 एवं शासनादेश सं0 सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10–11–2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी–4/उ0प्र0 शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s) . 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश ......

"We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT4

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय,

संलग्नक : मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-1745/पी0एस0एम0एस0/एस0ओ0-2018 दिनांक- 05.12.2018 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेगें।

सदस्य सचिव

7

Annexure -II

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संख्या 679/NGT-162 /2024 दिनांक 03/07/2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद लोनी,
गाजियाबाद।

विषयः मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 न0 880/2022 (आई0ए0 न0675/2023) सोहनबीर सिंह बनाम बीरेन्द्र एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 न0 880/2022 (आई0ए0 न0675/2023) सोहनबीर सिंह बनाम बीरेन्द्र एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.07.2024 को कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत श्री बीरेन्द्र पुत्र श्री नाहर सिंह द्वारा वार्ड न0 10 राजीव गार्डन मंगल बाजार, लोनी गाजियाबाद में केटिल फीड (भूसा) की दुकान संचालित की जा रही है जिसके बिरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष वाद योजित किया गया है।

उल्लेखनीय हे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या सी0एम0/89/9–अ–3–2003–82/2003 दिनांक 05.09.2003 एवं शासनादेश संख्या सी0एफ0–89(1)/9–अ–3–2003–82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग मे चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0, नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ इस आशय का निर्देश जारी किये गये है कि आवासीय भू–उपयोग मे व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधिया अनुमन्य नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित आदेशो/शासनादेशो का को संज्ञान में लेते हुए संन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यावाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि तदानुसार आख्या माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रश्नगत स्थल पर स्थित भूसे की दुकान को बन्द कराया गया था जो कि पुनः संचालित कर ली गई है।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी–वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-II

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संख्या 679/NGT-162 /2024 दिनांक 05/07/2024

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद लोनी,
गाजियाबाद।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 न0 880/2022 (आई0ए0 न0675/2023) सोहनबीर सिंह बनाम बीरेन्द्र एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 न0 880/2022 (आई0ए0 न0675/2023) सोहनबीर सिंह बनाम बीरेन्द्र एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2024 के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.07.2024 को कराया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद लोनी के क्षेत्रान्तर्गत श्री बीरेन्द्र पुत्र श्री नाहर सिंह द्वारा वार्ड न0 10 राजीव गार्डन मंगल बाजार, लोनी गाजियाबाद में केटिल फीड (भूसा) की दुकान संचालित की जा रही है जिसके विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष वाद योजित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या सी0एम0/89/9–अ–3–2003–82/2003 दिनांक 05.09.2003 एवं शासनादेश संख्या सी0एफ0–89(1)/9–अ–3–2003–82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग मे चल रही व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0, नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ इस आशय का निर्देश जारी किये गये है कि आवासीय भू–उपयोग मे व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधिया अनुमन्य नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित आदेशो/शासनादेशो का को संज्ञान में लेते हुए संन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यावाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि तदानुसार आख्या माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रश्नगत स्थल पर स्थित भूसे की दुकान को बन्द कराया गया था जो कि पुनः संचालित कर ली गई है।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी–वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1026 / एनजीटी–162 / ओ0ए0–880 / 2022 / 2024 दिनांक 03/08/2024

मा0एनजीटी / महत्वपूर्ण प्रकरण
अनुस्मारक–1

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 880 / 2022 (आई0ए0 संख्या 675 / 2023) सोहन वीर सिंह बनाम विरेन्द्र कश्यप एवं अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 679 / एनजीटी–162 / 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 880 / 2022 (आई0ए0 संख्या 675 / 2023) सोहन वीर सिंह बनाम विरेन्द्र कश्यप एवं अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन मे इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.07.2024 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, लोनी के क्षेत्रान्तर्गत श्री बीरेन्द्र पुत्र श्री नाहर सिंह द्वारा वार्ड नं–10, राजीव गार्डन मंगल बाजार, लोनी, गाजियाबाद में केटिल फीड (भूसा) की दुकान संचालित की जा रही है, जिसके विरूद्ध मा0 अधिकरण के समक्ष वाद विचाराधीन है।

आप अवगत है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 34957 / 2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 भ्शासन द्वारा शासनादेश संख्या सी0एम0 / 89 / 9–अ–3–2003–82 / 2003 दिनांक 05.09. 2003 एवं शासनादेश संख्या सी0एफ0–89(1) / 9–अ–3–2003–82रिट / 2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 दिनांक 10.11.2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग मे चल रही व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिशद, लखनऊ, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0, नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मा0 न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ इस आशय का निर्देश जारी किये गये है कि आवासीय भू–उपयोग मे व्यवसायिक एवं औधोगिक गतिविधिया अनुमन्य नही है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित आदेशो / शासनादेशों का संज्ञान मे लेते हुए श्री बीरेन्द्र पुत्र श्री नाहर सिंह द्वारा वार्ड नं–10, राजीव गार्डन मंगल बाजार, लोनी, गाजियाबाद द्वारा संचालित भूसे की दुकान को बन्द कराते हुए, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदानुसार आख्या मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। प्रकरण मे अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 12.08.2024 नियत है।
संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Letter_2023_24_Sunil_RO SIR

Annexure-3

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं0:–569/न0पा0परि0लो0/2024–25 दिनांकः–06 अगस्त 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आई.एन.एस.–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा,
गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 880/2022 (आई.ए. संख्या 675/2023) सोहनवीर सिंह बनाम वीरेन्द्र कश्यप एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0–1023/एनजीटी–162 /ओ0 ए0–880 /2022/2024 दिनांक 03.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 880/2022 (आई.ए. संख्या 675/2023) सोहनवीर सिंह बनाम वीरेन्द्र कश्यप एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह कश्यप, निवासी मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नम्बर–24, लोनी, गाजियाबाद द्वारा संचालित भूसे की दुकान को बन्द कराते हुए, कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि निकाय के पत्र सं0–665/ न0 पा0परि0 लो0/2024–25 दिनांकः–06 अगस्त 2024 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह कश्यप, निवासी मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नम्बर–24, लोनी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 02.11.2015 के क्रम में निकाय के पत्र सं0–1308/न0पा0प0/2015–16 दिनांक 14.01.2016 द्वारा दी गयी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी प्रति **संलग्नक–01** के रूप में संलग्न है। साथ ही गठित समिति द्वारा आज दिनांक 06.08.2024 को भूसा की प्रश्नगत दुकान का संचालन पूर्णतयाः बन्द करा दिया गया है, समिति रिपोर्ट प्रति **संलग्नक–02** के रूप में संलग्न है।

अनुपालन आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

06/08/24

(कृष्णकान्त मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं0:–५६५ / न0पा0परि0लो0 / 2024–25 दिनांकः– 06 अगस्त 2024

:: आदेश ::

कृपया श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह कश्यप, निवासी मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नम्बर–24, लोनी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 02.11.2015 के क्रम में निकाय के पत्र स0–1308 / न0पा0प0 / 2015–16 दिनांक 14.01.2016 द्वारा भूसा बेचने, भूसा रखने (भण्डारण) सहित भूसे के काम करने की अनुमति दी गयी थी, जिसमें उपरोक्त के द्वारा अनुमति की शर्तों का अनुपालन नही किया गया है, जिसके दृष्टिगत जनहित में उपरोक्त अनुमति की शर्त संख्या–04 के अनुसार उक्त अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(कृष्णकान्ता मिश्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, लोनी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः–

1– संस्थापक "दैनिक हिन्दुस्तान" व दैनिक अथाह", गाजियाबाद संस्करण, गाजियाबाद" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन समाचार के हिन्दी अंक में सूक्ष्म अंश में प्रकाशित कराकर तीन प्रतियां बिल सहित प्राप्त कराने का कष्ट करें।

2– श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह कश्यप, निवासी मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नम्बर–24, लोनी, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

3– नोटिस बोर्ड पर चस्पा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् लोनी
गाजियाबाद

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में विचाराधीन ओ० ए० संख्या- 880/2022 (E.A संख्या 675/2023) सोहन वीर सिंह बनाम विरेन्द्र कश्यप एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में आज दिनांक 06/8/2024 को नगर पालिका लोनी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, संगम विहार, थाना लोनी बार्डर द्वारा श्री बीरेन्द्र पुत्र श्री नाहर सिंह द्वारा वार्ड न० 10, राजीव गार्डन मंगल बाजार गाजियाबाद में कैटल फीड (भूसा) की दुकान का संचालन पूर्णतया बंद कराया गया।

गठित समिति की आख्या, आपके अवलोकनार्थ एवं अ० आ० का० हेतु सादर प्रस्तुत है।

दिनेश कुमार
न० पा० लोनी

संजीव कुमार
न० पा० लोनी

(AEE).
UPPCB, GZB

वीरेन्द्र कश्यप,
8851350287

06/08/24

6/8/24

NT
Loni
Seen

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद